प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस. 2023)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2025
प्र0ई0रि0सं0......95........./2025 दिनांक ..19.04.2025
(I)धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120 बी आईपीसी एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023
(II) अधिनियम..धाराऐं ....
(III) अधिनियम..धाराऐं....................................
(IV)अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.......277...............समय.......09:40 AM
(ब) अपराध घटने का दिन..........................दिनांक.........................समय.......
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक...................................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
(ब) पता – ....
....बीट संख्या..............................जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........
पुलिस थाना...जिला..................................
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :–सूत्र सूचना
(अ) नाम –
(ब) पिता/पति का नाम
(स) जन्म तिथि/वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता..
(य) पासपोर्ट संख्या... जारी होने की तिथि..........
जारी होने की जगह..
(र) व्यवसाय..
(ल) पता –
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
1. श्री अशोक कुमार जांगिड पुत्र श्री बनवारी लाल जांगिड, निवासी 36 गुलमोहर लेन–द्वितीय, हनुमान नगर वैशालीनगर जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट, बांसवाडा
2. श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार जांगिड निवासी 36 गुलमोहर लेन–द्वितीय, हनुमान नगर वैशालीनगर जयपुर
3. श्री निखिल जांगिड पुत्र श्री अशोक कुमार जांगिड निवासी 36 गुलमोहर लेन–द्वितीय, हनुमान नगर वैशालीनगर जयपुर व अन्य।
7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. 'पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड पुत्र श्री बनवारी लाल जांगिड, निवासी 36 गुलमोहर लेन–द्वितीय, हनुमान नगर वैशालीनगर जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट, बांसवाडा ने राजकीय सेवा में रहते हुए स्वयं व परिजनों के नाम वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित कर रखी है। सुचना का सत्यापन किया गया तो संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड पुत्र श्री बनवारी लाल जांगिड, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट, बांसवाडा के

पद पर पदस्थापित है तथा संदिग्ध अधिकारी मूल रूप से पावटा कोटपूतली का रहने वाला है व वर्तमान में मकान नम्बर 36 गुलमोहर लेन–द्वितीय, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर में निवास कर रहा है व संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती सुनिता शर्मा से होना व श्रीमती सुनिता शर्मा गृहणी होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के एक बेटा निखिल जांगिड व एक बेटी स्नेहा जांगिड होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्र निखिल जांगिड व पुत्री स्नेहा जांगिड को जयपुर व अन्य शहरों के महंगे स्कूलों में पढाई करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र श्री निखिल जांगिड का विवाह करीब 2 माह पूर्व करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

सूत्रों से संदिग्ध अधिकारी के पैन नम्बर AEKPJ3897C, संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा के पैन नम्बर AWNPJ2499M, संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के पैन नम्बर AEMPS8396B होना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम 19 परिसम्पत्तियां, पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा के नाम 3 परिसम्पत्तियां ,पुत्र निखिल जांगिड के नाम 32 परिसम्पत्तियां जयपुर शहर, पावटा कोटपूतली, श्रीमाधोपुर, मौजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा टोंक, श्री मोहनगढ जैसलमेर में विभिन्न स्थानों पर कुल 54 अचल परिसम्पत्तियां अर्जित किया जाना ज्ञात हुआ है। जिनका विवरण निम्नानुसार है–

1. संदिग्ध अधिकारी द्वारा जयपुर में विभिन्न स्थानों पर स्वयं के नाम 11 व पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा के नाम 3 व पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम 3 परिसम्पत्तियां अर्जित करना ज्ञात हुआ है।
2. पावटा जिला कोटपूतली बहरोड में विभिन्न स्थानों पर स्वयं के नाम 07 व स्वयं के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम 15 परिसम्पत्तियां अर्जित करना ज्ञात हुआ है।
3. संदिग्ध अधिकारी द्वारा मौजमाबाद जिला जयपुर में पालुकलां गांव में स्वयं के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम 7 परिसम्पत्तियां अर्जित करना ज्ञात हुआ है।
4. संदिग्ध अधिकारी द्वारा उदयपुर, अजमेर, श्रीमाधोपुर में 7 परिसम्पत्तियां अपने पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम अर्जित करना ज्ञात हुआ है।
5. संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम श्रीमोहनगढ जैसलमेर में स्वयं के नाम 1 परिसम्पत्ति अर्जित करना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के परिजनों के नाम विभिन्न बैंकों में स्थित 22 बैंक खातों में करीब 21 लाख रूपये शेष बैलेन्स होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के परिवारजनों के बैंक खातों में करोडों रूपये का संदिग्ध लेनदेन करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उपरोक्त संबंध में दौराने कार्यवाही बैंक खातों से संबंधित दस्तावेजात जब्त करना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्थानों पर स्वयं के नाम जयपुर व पावटा में मकान, कैमरिया पावटा में फार्महाउस, पत्नी के नाम जयपुर में बनीपार्क, बिन्दायका में व्यवसायिक दुकान, पुत्र के नाम उदयपुर, मालपुरा, अजमेर व बुचारा पावटा में 5 खनिज लीज व श्रीमाधोपुर में कॉमर्सियल भूमि खनिज व ग्राइन्डिग उद्योग प्रयोजनार्थ खरीद करने व निवेश करने में करोडों रूपये व्यय करने का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम से 5 खनिज लीज क्रमशः 1. बुचारा, पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, 2. नगर, मालपुरा जिला टोंक, 3. लक्ष्मीपुरा, बोराडा जिला अजमेर, 4. जावद जिला उदयपुर 5. कोच्छला जिला उदयपुर में करोडों रूपये खनिज लीज में निवेश करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

(1) बुचारा, पावटा जिला कोटपूतली बहरोड– संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1381/2002/1.71, 1381/2.00 मौजा बुचारा, तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्रीमती रेखा देवी के हिस्से का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 1.29 हैक्टेयर वर्ष 2022 में 17,60,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1381/2002/1.71

मौजा बुचारा, तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्रीमती मधु देवी व बिरमा देवी के हिस्से 63/76 का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 1.4175 हैक्टेयर वर्ष 2023 में 19,47,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1381/2.00 मौजा बुचारा, तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्रीमती मधु देवी के हिस्से का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर वर्ष 2023 में 13,74,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।

उपरोक्त भूमि 3.70 हैक्टेयर पर संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड द्वारा खनन कार्य हेतु खनिज विभाग से पट्टा नम्बर ME/ktp/MINOR/ML/10/2023 वर्ष 2023 में जारी करवाया गया है। सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी के पुत्र द्वारा उपरोक्त भूमि को खनिज लीज संचालन हेतु तैयार करने के लिए भूमि के उपर की मिट्टी की परत को करीब 10 से 15 फीट हटाया जाकर खनन कार्य किया जा रहा है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी के पुत्र द्वारा उपरोक्त भूमि को खरीद करने, खनिज लीज पट्टा जारी करवाकर पंजीकरण करवाने, खनिज लीज संचालन हेतु 3.70 हैक्टैयर जमीन के उपर की मिट्टी की करीब 10—15 फीट परत को हटाने में करीब 95,00,000/रूपये व्यय होने का अनुमान है।

(2) UN MINERALS, जावद, जिला उदयपुरः— खसरा नम्बर 1260 जावद तहसील सराडा जिला उदयपुर के मालिक श्री ओमप्रकाश, श्री गोपाल, श्री भगवतीलाल, श्रीमती मावी, श्रीमती मोवनी, श्रीमती रामूबाई व श्रीमती सुशीला निवासी नईझर उदयपुर द्वारा उपरोक्त खसरा में अपने हिस्से की 2 हेक्टेयर भूमि का मुख्तयार आम संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड व चांसदा उदयपुर के निवासी श्री उदयलाल गर्ग को वर्ष 2021 में नियुक्त किया जाकर उक्त भूमि के समस्त प्रकार के अधिकार इनको सुपूर्द किये गये। उक्त मुख्तयार आम के पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 6014/रूपये व्यय होने का अनुमान है। दिनांक 28.09.2021 को उपरोक्त दोनों पक्षकारों द्वारा खनिज लीज संचालन करने हेतु सहमति डीड पंजीकृत करवाई गई। जिसमें अनुमानित 1,76,000/रूपये व्यय होने का अनुमान है।

खसरा नम्बर 1261 जावद तहसील सराडा जिला उदयपुर के मालिक श्री दलीचन्द, श्रीमती बदामी देवी निवासी नईझर उदयपुर द्वारा उपरोक्त खसरा में अपने हिस्से की 2.30 हेक्टेयर भूमि का मुख्तयार आम संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड व चांसदा उदयपुर के निवासी श्री उदयलाल गर्ग को वर्ष 2021 में नियुक्त किया जाकर उक्त भूमि के समस्त प्रकार के अधिकार इनको सुपूर्द किये गये। उक्त मुख्तयार आम के पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 12963/रूपये व्यय होने का अनुमान है। दिनांक 28.09.2021 को उपरोक्त दोनों पक्षकारों द्वारा खनिज लीज संचालन करने हेतु सहमति डीड पंजीकृत करवाई गई। जिसमें अनुमानित 3,80,264/रूपये व्यय होने का अनुमान है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त भूमि के उपयोग हेतु मुख्त्यार आम पंजीयन करवाया गया है परन्तु उपरोक्त भूमि के भूस्वामियों को उपरोक्त भूमि के उपयोग के एवज में किराया स्वरूप कितना भुगतान किया जा रहा है। इस संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि संदिग्ध अधिकारी की बेनामी सम्पत्ति होना प्रतीत होता है। अतः इस संबंध में दौराने कार्यवाही तथ्य एवं रिकॉर्ड संकलित किया जाना उचित रहेगा।

उपरोक्त खसरा नम्बर 1260, 1261 जावद तहसील सराडा जिला उदयपुर क्षेत्रफल 4.30 हैक्टेयर पर संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड व श्री उदयलाल गर्ग पुत्र भूरीलाल निवासी चांसदा उदयपुर द्वारा क्वार्टज एवं फैल्सफार खनन हेतु खनिज विभाग से पट्टा नम्बर ME/UDR/MINOR/ML/10/2021 वर्ष 2023 में जारी करवाया जाकर खनन कार्य चालू करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त भूमि पर संदिग्ध अधिकारी के पुत्र व श्री

उदयलाल गर्ग ने क्रशर स्थापित किया है। उपरोक्त भूमि पर खनिज उत्खनन का कार्य व्यापक स्तर पर चलना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

उपरोक्त खसरा नम्बर 1260, 1261 जावद तहसील सराडा जिला उदयपुर क्षेत्रफल 4.30 हैक्टेयर को मुख्तयार आम पंजीकरण, सहमति डीड पंजीकरण, खनिज लीज पट्टा प्राप्त करने व पट्टा पंजीकरण करवाने, खनिज लीज संचालन हेतु इन्फ्रा यथा बहुमुल्य मशीन आईआर ब्लास्टींग, पोकलैण्ड (खुदाई करने हेतु), एलएण्डटी मशीन, डम्पर आदि की खरीद करने, क्रशर स्थापित करने, बिजली कनेक्सन व खनिज लीज का संचालन करने में करीब 6,00,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी के पुत्र का उपरोक्त खनिज लीज में 1/2 हिस्सा है अतः संदिग्ध अधिकारी के पुत्र द्वारा 3,00,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

(3) कोच्छला झाडोल जिला उदयपुर :- संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 2991/1395 कोच्छला झाडोल जिला उदयपुर वर्ष 2020 में 11,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्ति श्री उदयलाल गर्ग निवासी उदयपुर के साझा में ली गई है अतः संदिग्ध अधिकारी के बेटे द्वारा 5,50,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। उपरोक्त खसरा में संदिग्ध अधिकारी व उदयलाल गर्ग ने साझा में खनिज विभाग से खनिज लीज पट्टा नम्बर 100855, पट्टा आईडी ME/UDR/MINOR/ML/11/2020 लेना ज्ञात हुआ है। उक्त खनिज लीज के संचालन हेतु इन्फ्रा यथा मशीन, वाहन इत्यादि के संबंध में कार्यवाही व अनुसंधान के दौरान ज्ञात किया जाना उचित रहेगा।

(4) लक्ष्मीपुरा सरवाड अजमेर :-खसरा नम्बर 480/1291 लक्ष्मीपुरा सरवाड अजमेर क्षेत्रफल 1 हैक्टेयर पर संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड व श्री भैरूलाल जेथलिया पुत्र श्री दुर्गालाल निवासी 922 पंसारी जी का चौक लाम्बा हरिसिंह मालपुरा टोंक द्वारा क्वार्टज एवं फैल्सफार खनन हेतु खनिज विभाग से पट्टा नम्बर AME/SWR/MINOR/ML/131/2021 वर्ष 2023 में जारी करवाया गया, जिस पर 50,000/रूपये व्यय होने का अनुमान है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त भूमि के उपयोग हेतु सहमति डीड पंजीयन करवाया गया है परन्तु उपरोक्त भूमि के भूस्वामियों को उपरोक्त भूमि के उपयोग के एवज में किराया स्वरूप कितना भूगतान किया जा रहा है, इस संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि संदिग्ध अधिकारी की बेनामी सम्पत्ति होना प्रतीत होता है। अतः इस संबंध में दौराने कार्यवाही तथ्य एवं रिकॉर्ड संकलित किया जाना उचित रहेगा। उक्त खनिज लीज के संचालन हेतु इन्फ्रा यथा मशीन, वाहन इत्यादि के संबंध में कार्यवाही व अनुसंधान के दौरान ज्ञात किया जाना उचित रहेगा।

(5) SHREE BALABERI BALAJI GRANITE MINES & MINERALS ग्राम नगर तह. मालपुरा जिला टोंक:- संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड की आयकर विवरणिका से प्रकट हुआ कि खनिज लीज SHREE BALABERI BALAJI GRANITE MINES & MINERALS में 75 प्रतिशत पार्टनरशीप होना ज्ञात हुआ है। उक्त खनिज लीज का पट्टा आईडी 100943 पट्टा नम्बर AME/TNK/MINOR/ML/75/2019 खसरा नम्बर 230/8 ग्राम नगर तह. मालपुरा जिला टोंक कार्यालय पता राजमहल, रतनगढ रोड, छगन कॉलोनी, सालासर चुरू होना ज्ञात हुआ है। उक्त खनिज लीज में संदिग्ध अधिकारी के पुत्र का पार्टनर श्री सत्यनारायण पुजारी पुत्र श्री छगनलाल निवासी राजमहल, रतनगढ रोड, छगन कॉलोनी, सालासर चुरू व विष्णु मालू पुत्र बजरंगलाल निवासी प्लॉट नम्बर 1418 ई, लेआउट नागपुर महाराष्ट्र होना ज्ञात हुआ है। उपरोक्त भूमि पर खनिज उत्खनन का कार्य व्यापक स्तर पर चलना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उपरोक्त खनिज लीज संचालन हेतु इन्फ्रा यथा बहुमुल्य मशीन आईआर ब्लास्टींग, पोकलैन (खुदाई करने हेतु), एलएण्डटी मशीन, डम्पर आदि, बिजली कनेक्सन व खनिज लीज का संचालन करने में करीब 4,00,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी के पुत्र का उपरोक्त खनिज लीज में 75 प्रतिशत हिस्सा है अतः संदिग्ध अधिकारी के पुत्र द्वारा 3,00,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त खनिज लीज की पार्टनरशीप संबंधित दस्तावेज, खनिज लीज संचालन व स्वामित्व के संबंध में उक्त खनिज लीज की कार्यवाही व अनुसंधान के दौरान ज्ञात किया जाना उचित रहेगा।

(6) जुगलपुरा तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर :-इसके अतिरिक्त संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1646 ग्राम जुगलपुरा तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर

6,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त भूमि को संदिग्ध अधिकारी के पुत्र ने वर्ष 2024 में खनिज एवं ग्राइन्डिग उद्योग लगाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक भूमि में रूपान्तरण करवाया जिसमें करीब 56,500/ रूपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त भूमि को खरीद करने तथा वाणिज्यिक भूमि में रूपान्तरण करवाने में करीब 6,56,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। मौके पर वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि नहीं होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा के नाम इण्डियन ऑवरसीज बैंक वैशाली नगर जयपुर में स्थित बैंक खाता संख्या 153901000005341 के लिंक बैंक लॉकर है। जिसकी तलाशी में मुल्यवान प्रतिभूति मिलने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

विभागीय नियमों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अपने निकटतम परिवारजनों यथा पत्नी, माता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से कोई परिसम्पति क्रय करता है तो उसकी सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को देनी होती है तथा राज्य के समस्त राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी चल अचल सम्पति का विवरण ऑनलाईन राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपलॉड करना होता है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं, पत्नी, पुत्र के नाम जयपुर व अन्य स्थानों पर परिसम्पत्तियां क्रय किया जाना ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण संदिग्ध अधिकारी ने अपनी आईपीआर में दर्शित नहीं कर रखा है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा आचरण नियमों के विरूद्ध ऐसा कार्य किया जा रहा है। उक्त कृत्य सदिग्ध अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार से धन अर्जित करने के तथ्य की पुष्टि करता है।

संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वर्ष 1998 में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर हुई थी। समय-समय पर विभागीय पदोन्नति होने के पश्चात वर्तमान में संदिग्ध अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता वृत प्रोजेक्ट बासंवाडा के पद पर कार्यरत है। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी अपने सेवाकाल में लम्बे समय तक रूडसीको में पदस्थापित रहा है। संदिग्ध अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना जानकारी में आया है। संदिग्ध अधिकारी की राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना तथा नियुक्ति के पश्चात अचानक रहन सहन का स्तर आय के वैध ज्ञात स्त्रोतो से उच्च स्तर का होना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड द्वारा राजकीय सेवा में आने के बाद स्वयं एवं स्वयं के परिजनो के नाम से अर्जित परिसम्पत्तियों का गोपनीय रूप से विभिन्न राजकीय उपक्रमों/सोसायटी एवं बैंक आदि से जानकारी की जाकर सत्यापन किया गया है।

गोपनीय सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड व परिवारजनों के नाम विभिन्न परिसम्पतियॉ मे निवेश/खरीद करना सत्यापन से ज्ञात हुआ है, संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों, आय एवं व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र "अ" "ब""स""द" निम्नानुसार है :-

परिशिष्ट "अ"

संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड पुत्र श्री बनवारी लाल जांगिड, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट, बांसवाडा की चैक पिरियड सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां:-

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	शून्य

परिशिष्ट "ब"

संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड पुत्र श्री बनवारी लाल जांगिड, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट, बांसवाडा की चैक पिरियड वर्ष 1998 से खाना तलाशी की दिनांक तक में अर्जित परिसम्पत्तियां:-

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** मकान नम्बर 36 गुलमोहर लेन द्वीतीय, हनुमान नगर वैशालीनगर जयपुर	1,50,00,000/ रूपये

	क्षेत्रफल 275 वर्गगज वर्ष 2006 में 22,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त मकान को खरीद करते समय बेसमेन्ट व ग्राउन्ड फ्लौर पर निर्माण कार्य हो रखा था, सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी ने उक्त मकान को खरीद करने के पश्चात पुर्ननिर्माण करते हुए द्वितीय तल का भी निर्माण कार्य करवाया। उक्त मकान को खरीद करने के पश्चात पुर्ननिर्माण, रिनोवेसन, साज सज्जा में करीब 1,28,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त मकान को क्रय करने, पुर्ननिर्माण, रिनोवेसन, साज सज्जा में करीब 1,50,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
2.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** प्लॉट नम्बर 2 पूजा विहार ग्राम खेरवाडी, तह0 आमेर जयपुर क्षेत्रफल 830.80 वर्गगज वर्ष 2020 में 14,11,583/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	14,11,583/रूपये
3.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम प्लॉट नम्बर 3 पूजा विहार ग्राम खेरवाडी, तह0 आमेर जयपुर क्षेत्रफल 556.25 वर्गगज वर्ष 2023 में 9,91,168/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	9,91,168/रूपय
4.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** प्लॉट नम्बर 4 पूजा विहार ग्राम खेरवाडी, तह0 आमेर जयपुर क्षेत्रफल 556.25 वर्गगज वर्ष 2024 में 10,77,120/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	10,77,120/रूपये
5.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** प्लॉट नम्बर 8 पूजा विहार ग्राम खेरवाडी, तह0 आमेर जयपुर क्षेत्रफल 1302.33 वर्गगज वर्ष 2023 में 27,75,488/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	27,75,488/रूपये
6.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं की पत्नी के नाम** दुकान नम्बर एस–22 बिन्दायका रीको औद्योगिक क्षेत्र जयपुर क्षेत्रफल 48 वर्गमीटर वर्ष 2016 में 14,00,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त दुकान के प्लॉट को खरीद करने के पश्चात संदिग्ध अधिकारी ने दो मंजिला निर्माण कार्य करवाया जिस पर करीब 30,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त दुकान के प्लॉट को खरीद करने व निर्माण कार्य करवाने में करीब 44,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	44,00,000/रूपये
7.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** प्लॉट नम्बर 37 राधा स्वामी वाटिका प्रथम–बी विस्तार, दौलतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 76.11 वर्गगज वर्ष 2024 में 1,80,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	1,80,000/रूपये
8.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** प्लॉट नम्बर 38 राधा स्वामी वाटिका प्रथम–बी विस्तार, दौलतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 98 वर्गगज वर्ष 2024 में 2,18,440/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	2,18,440/रूपये
9.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** खसरा नम्बर 3441, 3442 ग्राम मानपुर माचेडी तह0 आमेर, जयपुर क्षेत्रफल .33 हेक्टेयर वर्ष 2017 में 24,60,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	24,60,000/रूपये

10.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** खसरा नम्बर 229 ग्राम सुन्दरियावास, कालवाड, जयपुर क्षेत्रफल 3.94 हेक्टेयर वर्ष 2022 में 35,80,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	35,80,000/रूपये
11.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** खसरा नम्बर 195/1 ग्राम दुर्जनियावास, कालवाड, जयपुर रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा में हिस्सा 28/29 का 1/2 भाग वर्ष 2018 में 11,33,790/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	11,33,790/रूपये
12.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** खसरा नम्बर 195/1 ग्राम दुर्जनियावास, कालवाड, जयपुर रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा में हिस्सा 28/29 का 1/2 भाग वर्ष 2018 में 11,33,790/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	11,33,790/रूपये
13.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 195/1 ग्राम दुर्जनियावास, कालवाड, जयपुर रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा में हिस्सा 1/29 व 195/2 ग्राम दुर्जनियावास, कालवाड, जयपुर रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा में विक्रेता श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी श्री लाला राम के हिस्से का 1/2 भाग वर्ष 2018 में 25,10,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	25,10,000/रूपये
14.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 195/2 ग्राम दुर्जनियावास, कालवाड, जयपुर रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा में विक्रेता श्रीमती कैलाश देवी पत्नी रामसहाय के हिस्से का 1/2 भाग वर्ष 2018 में 24,50,498/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	24,50,498/रूपये
15.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** खसरा नम्बर 682,695 ग्राम बिलपुर तह0 आमेर जयपुर वर्ष 2017 में 20,50,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	20,50,000/रूपये
16.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं की पत्नी के नाम** खसरा नम्बर 293,294/944,296/943, 298/942, 299, 301/936, 302/938, 310/933, 312,371/935 ग्राम बिलपुर तह0 आमेर जयपुर क्षेत्रफल .53 हैक्टेयर वर्ष 2017 में 16,50,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	16,50,000/रूपये
17.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** खसरा नम्बर 2118 ग्राम खेलना तह0 पावटा जिला कोटपूतली वर्ष 2024 में 7,50,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	7,50,000/रूपये
18.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** भूखण्ड संख्या 8 (खसरा नम्बर 3105/2115)ग्राम खेलना तह0 पावटा जिला कोटपूतली क्षेत्रफल 1804.16 वर्गगज वर्ष 2024 में 21,00,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	21,00,000/रूपये
19.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** आवासीय खसरा नम्बर 3106/2115/0.1103, 3112/2110/0.0040 ग्राम खेलना तह0 पावटा जिला कोटपूतली क्षेत्रफल 1143 वर्गमीटर वर्ष 2024 में 15,85,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क	15,85,000/रूपये

	सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	
20.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** खसरा नम्बर 21/9.42, 34/.32 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्रीमती उर्मिला देवी का 1/10 भाग) क्षेत्रफल 0.97 हैक्टेयर वर्ष 2023 में 17,31,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	17,31,000/रूपये
21.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 21/9.42, 34/0.32 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्री रामबाबु का 1/10 भाग) क्षेत्रफल 0.97 हैक्टेयर वर्ष 2022 में 20,10,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	20,10,000/रूपये
22.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 21/9.42, 34/0.32 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्री रमेश चन्द का 1/10 भाग) क्षेत्रफल 0.97 हैक्टेयर वर्ष 2022 में 20,10,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	20,10,000/रूपये
23.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 21/9.42, 34/0.32 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्री रामकिशोर का 1/10 भाग) क्षेत्रफल 0.97 हैक्टेयर वर्ष 2022 में 20,10,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	20,10,000/रूपये
24.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 21/9.42, 34/0.32 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्री अर्जुनलाल का 1/10 भाग) क्षेत्रफल 0.97 हैक्टेयर वर्ष 2022 में 20,10,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	20,10,000/रूपये
25.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 100/1.78 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्री दीपक व आदित्य का सम्पूर्ण हिस्सा) क्षेत्रफल 1.11 हैक्टेयर वर्ष 2020 में 19,08,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	19,08,000/रूपये
26.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** खसरा नम्बर 102/2.49 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्री दीपक व आदित्य का सम्पूर्ण हिस्सा) क्षेत्रफल 1.02 हैक्टेयर वर्ष 2020 में 17,60,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	17,60,000/रूपये
27.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 158/2.29 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्रीमती मीना देवी का 207/11450 भाग) क्षेत्रफल 0.0414 हैक्टेयर वर्ष 2020 में 2,75,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	2,75,000/रूपये
28.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 159/2.48 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्रीमती मीना देवी का सम्पूर्ण भाग)	17,60,000/रूपये

	क्षेत्रफल 0.99 हैक्टेयर वर्ष 2020 में 17,60,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	
29.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 159 / 2.48 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्री जगदीश का 37 / 248 भाग सम्पूर्ण) क्षेत्रफल 0.372 हैक्टेयर वर्ष 2020 में 2,20,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	2,20,000 / रूपये
30.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** खसरा नम्बर 160 / 2.22 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली क्षेत्रफल वर्ष 2020 में 20,00,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	20,00,000 / रूपये
31.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 160 / 2.22 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्रीमती मीना देवी के हिस्से का 1 / 2 भाग सम्पूर्ण) क्षेत्रफल 1.11 हैक्टेयर वर्ष 2020 में 19,80,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	19,80,000 / रूपये
32.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 153 / 0.72,154 / 0.47 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्रीमती मीना देवी के हिस्से का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 0.41 हैक्टेयर वर्ष 2020 में 6,60,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	6,60,000 / रूपये
33.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 508 / 1 / 0.1085, 509 / 1 / 0.01 मौजा पावटा, तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्री पुरूषोतम के हिस्से का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 0.1185 हैक्टेयर वर्ष 2023 में 32,34,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	32,34,000 / रूपये
34.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1381 / 2002 / 1.71, 1381 / 2.00 मौजा बुचारा, तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्रीमती रेखा देवी के हिस्से का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 1.29 हैक्टेयर वर्ष 2022 में 17,60,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1381 / 2002 / 1.71 मौजा बुचारा, तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्रीमती मधु देवी व बिरमा देवी के हिस्से 63 / 76 का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 1.4175 हैक्टेयर वर्ष 2023 में 19,47,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1381 / 2.00 मौजा बुचारा, तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्रीमती मधु देवी के हिस्से का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर वर्ष 2023 में 13,74,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उपरोक्त भूमि 3.70 हैक्टेयर पर संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री	95,00,000 / रूपये

	निखिल जांगिड द्वारा खनन कार्य हेतु खनिज विभाग से पट्टा नम्बर ME/ktp/MINOR/ML/10/2023 वर्ष 2023 में जारी करवाया गया है। सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी के पुत्र द्वारा उपरोक्त भूमि को खनिज लीज संचालन हेतु तैयार करने के लिए भूमि के उपर की मिट्टी की परत को करीब 10 से 15 फीट हटाया जा रहा है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी के पुत्र द्वारा उपरोक्त भूमि को खरीद करने, खनिज लीज पट्टा जारी करवाकर पंजीकरण करवाने, खनिज लीज संचालन हेतु 3.70 हैक्टैयर जमीन के उपर की मिट्टी की करीब 10—15 फीट परत को हटाने में करीब 95,00,000 / रूपये व्यय होने का अनुमान है।	
35.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1436 / 1998 / 1.50 मौजा बुचारा, तह0 पावटा जिला कोटपूतली (विक्रेता श्रीमती बिरमा देवी के हिस्से का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 1.50 हैक्टेयर वर्ष 2022 में 20,48,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	20,48,000 / रूपये
36.	**संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम** कृषि भूमि सितोसिंहपुरा पाचडूला पावटा जिला कोटपूतली बहरोड में दिनांक 06.02. 2020 को 11,00,000 / रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	11,00,000 / रूपये
37.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1011 मौजा पालूकलां तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर (विक्रेता श्रीमती प्रेम देवी के हिस्से 1 / 18 का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 2.07 हैक्टेयर का 1 / 18 भाग वर्ष 2022 में 5,47,359 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	5,47,359 / रूपये
38.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1011 मौजा पालूकलां तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर (विक्रेता श्रीमती रामसरिन्ता देवी के हिस्से 1 / 18 का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 2.07 हैक्टेयर का 1 / 18 भाग वर्ष 2022 में 6,15,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	6,15,000 / रूपये
39.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1011 मौजा पालूकलां तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर (विक्रेता श्रीमती नान्वी देवी के हिस्से 1 / 18 का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 2.07 हैक्टेयर का 1 / 18 भाग वर्ष 2022 में 5,47,359 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	5,47,359 / रूपये
40.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1011 मौजा पालूकलां तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर (विक्रेता श्री पीरू के हिस्से 1 / 16 का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 2.07 हैक्टेयर का 1 / 16 भाग वर्ष 2022 में 1,50,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	1,50,000 / रूपये
41.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1011 मौजा पालूकलां तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर (विक्रेता श्रीमती प्रेमदेवी के हिस्से 1 / 18 का सम्पूर्ण भाग) क्षेत्रफल 2.07 हैक्टेयर का 1 / 18 भाग वर्ष 2022 में 3,20,000 / रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	3,20,000 / रूपये

42.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 475, 1005, 1028, 470, 471, 482, 483, 484 मौजा पालूकलां तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर (विक्रेता श्रीमती नान्वी देवी के हिस्से का 1/9 भाग)क्षेत्रफल 3.50 हैक्टेयर व 0.5185 हैक्टेयर में 1/9 हिस्सा वर्ष 2022 में 37,97,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	37,97,000/रूपये
43.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 475, 1005, 1028, 470, 471, 482, 483, 484 मौजा पालूकलां तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर (विक्रेता श्रीमती प्रेमदेवी के हिस्से का 1/9 भाग)क्षेत्रफल 3.50 हैक्टेयर में 1/9 हिस्सा वर्ष 2022 में 31,50,000/रूपये (खरीद,पंजीयन व अन्य शुल्क सहित) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	31,50,000/रूपये
44.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं की पत्नी के नाम कॉमर्सियल दुकान नम्बर बी–8 आदर्श प्लाजा बनीपार्क जयपुर वर्ष 2014 में 12,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	12,00,000/रूपये
45.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम श्रीमोहनगढ जैसलमेर में कृषि भूमि वर्ष 2010 में 5,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	5,00,000/रूपये
46.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1646 ग्राम जुगलपुरा तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर 6,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त भूमि को संदिग्ध अधिकारी के पुत्र ने वर्ष 2024 में खनिज एवं ग्राइन्डिग उद्योग लगाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक भूमि में रूपान्तरण करवाया जिसमें करीब 56,500/ रूपये व्यय होने का अनुमान है। . इस प्रकार उक्त भूमि को खरीद करने तथा वाणिज्यिक भूमि में रूपान्तरण करवाने में करीब 6,56,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	6,56,000/रूपये
47.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 2991/1395 कोच्छला झाडोल जिला उदयपुर वर्ष 2020 में 11,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्ति श्री उदयलाल गर्ग निवासी उदयपुर के साझा में ली गई है अतः संदिग्ध अधिकारी के बेटे द्वारा 5,50,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। उपरोक्त खसरा में संदिग्ध अधिकारी व उदयलाल गर्ग ने साझा में खनिज विभाग से खनिज लीज पट्टा नम्बर 100855, पट्टा आईडी ME/UDR/MINOR/ML/11/2020 लेना ज्ञात हुआ है।	5,50,000/रूपये
48.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम खसरा नम्बर 1716 लुणावटों का खेडा झाडोल जिला उदयपुर वर्ष 2020 में 6,00,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्ति श्री उदयलाल गर्ग निवासी उदयपुर के साझा में ली गई है अतः संदिग्ध अधिकारी के बेटे द्वारा 3,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	3,00,000/रूपये
49.	खसरा नम्बर 1260 जावद तहसील सराडा जिला उदयपुर के मालिक श्री ओमप्रकाश, श्री गोपाल, श्री भगवतीलाल, श्रीमती मावी, श्रीमती मोवनी, श्रीमती रामूबाई व श्रीमती सुशीला निवासी नईझर उदयपुर द्वारा उपरोक्त खसरा में अपने हिस्से	3,00,00,000/रूपये

	की 2 हेक्टेयर भूमि का मुख्तयार आम संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड व चांसदा उदयपुर के निवासी श्री उदयलाल गर्ग को वर्ष 2021 में नियुक्त किया जाकर उक्त भूमि के समस्त प्रकार के अधिकार इनको सुपूर्द किये गये। उक्त मुख्तयार आम के पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 6014/रूपये व्यय होने का अनुमान है। दिनांक 28.09.2021 को उपरोक्त दोनों पक्षकारों द्वारा खनिज लीज संचालन करने हेतु सहमति डीड पंजीकृत करवाई गई। जिसमें अनुमानित 1,76,000/रूपये व्यय होने का अनुमान है। खसरा नम्बर 1261 जावद तहसील सराडा जिला उदयपुर के मालिक श्री दलीचन्द, श्रीमती बदामी देवी निवासी नईझर उदयपुर द्वारा उपरोक्त खसरा में अपने हिस्से की 2.30 हेक्टेयर भूमि का मुख्तयार आम संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड व चांसदा उदयपुर के निवासी श्री उदयलाल गर्ग को वर्ष 2021 में नियुक्त किया जाकर उक्त भूमि के समस्त प्रकार के अधिकार इनको सुपूर्द किये गये। उक्त मुख्तयार आम के पंजीयन व अन्य शुल्क के रूप में 12963/रूपये व्यय होने का अनुमान है। दिनांक 28.09.2021 को उपरोक्त दोनों पक्षकारों द्वारा खनिज लीज संचालन करने हेतु सहमति डीड पंजीकृत करवाई गई। जिसमें अनुमानित 3,80,264/रूपये व्यय होने का अनुमान है। उपरोक्त खसरा नम्बर 1260, 1261 जावद तहसील सराडा जिला उदयपुर क्षेत्रफल 4.30 हैक्टेयर पर संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड व श्री उदयलाल गर्ग पुत्र भूरीलाल निवासी चांसदा उदयपुर द्वारा क्वार्टज एवं फैल्सफार खनन हेतु खनिज विभाग से पट्टा नम्बर ME/UDR/MINOR/ML/10/2021 वर्ष 2023 में जारी करवाया जाकर खनन कार्य चालू करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त भूमि पर संदिग्ध अधिकारी के पुत्र व श्री उदयलाल गर्ग ने क्रशर स्थापित किया है। उपरोक्त खसरा नम्बर 1260, 1261 जावद तहसील सराडा जिला उदयपुर क्षेत्रफल 4.30 हैक्टेयर को मुख्तयार आम पंजीकरण, सहमति डीड पंजीकरण, खनिज लीज पट्टा प्राप्त करने व पट्टा पंजीकरण करवाने, खनिज लीज संचालन हेतु इन्फ्रा यथा बहुमुल्य मशीन आईआर ब्लास्टींग, पोकलैन (खुदाई करने हेतु), एलएण्डटी मशीन, डम्पर आदि की खरीद करने, क्रशर स्थापित करने, बिजली कनेक्सन व खनिज लीज का संचालन करने में करीब 6,00,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी के पुत्र का उपरोक्त खनिज लीज में 1/2 हिस्सा है अतः संदिग्ध अधिकारी के पुत्र द्वारा 3,00,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
50.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र के नाम खसरा नम्बर 129 पार्ट 24/226 लक्ष्मीपुरा सरवाड अजमेर वर्ष 2020 में 65,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	65,000/रूपये
51.	खसरा नम्बर 480/1291 लक्ष्मीपुरा सरवाड अजमेर क्षेत्रफल 1 हैक्टेयर पर संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड व श्री भैरूलाल जेथलिया पुत्र श्री दुर्गालाल निवासी 922 पंसारी जी का चौक लाम्बाहरिसिंह मालपुरा टोंक द्वारा क्वार्टज एवं	50,000/रूपये

	फैल्सफार खनन हेतु खनिज विभाग से पट्टा नम्बर AME/SWR/MINOR/ML/131/2021 वर्ष 2023 में जारी करवाया गया, जिस पर 50,000/रूपये व्यय होने का अनुमान है।	
52.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड की आयकर विवरणिका का अवलोकन किया गया तो खनिज लीज SHREE BALABERI BALAJI GRANITE MINES & MINERALS में 75 प्रतिशत पार्टनरशीप होना ज्ञात हुआ है। उक्त खनिज लीज का पट्टा आईडी 100943 पट्टा नम्बर AME/TNK/MINOR/ML/75/2019 खसरा नम्बर 230/8 ग्राम नगर तह. मालपुरा जिला टोंक कार्यालय पता राजमहल, रतनगढ रोड, छगन कॉलोनी, सालासर चुरु होना ज्ञात हुआ है। उक्त खनिज लीज में संदिग्ध अधिकारी के पुत्र का पार्टनर श्री सत्यनारायण पुजारी पुत्र श्री छगनलाल निवासी राजमहल, रतनगढ रोड, छगन कॉलोनी, सालासर चुरू व विष्णु मालू पुत्र बजरंगलाल निवासी प्लॉट नम्बर 1418 ई, लेआउट नागपुर महाराष्ट्र होना ज्ञात हुआ है। उक्त खनिज लीज मौके पर संचालित होना ज्ञात हुआ है, उपरोक्त खनिज लीज संचालन हेतु इन्फ्रा यथा बहुमुल्य मशीन आईआर ब्लास्टींग, पोकलैन (खुदाई करने हेतु), एलएण्डटी मशीन, डम्पर आदि, बिजली कनेक्सन व खनिज लीज का संचालन करने में करीब 4,00,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी के पुत्र का उपरोक्त खनिज लीज में 75 प्रतिशत हिस्सा है अतः संदिग्ध अधिकारी के पुत्र द्वारा 3,00,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	3,00,00,000/रूपये
53.	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 51053437664 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 2018/रूपये होने का अनुमान है।	2018/रूपये
54.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 37540250032 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 50,217/रूपये होने का अनुमान है।	50,217/रूपये
55.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 37540250429 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 99,764/रूपये होने का अनुमान है।	99,764/रूपये
56.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 37544460863 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 1,51,906/रूपये होने का अनुमान है।	1,51,906/रूपये
57.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 61285418881 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 21,856/रूपये होने का अनुमान है।	21,856/रूपये
58.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 61162017801 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 285/रूपये होने का अनुमान है।	285/रूपये
59.	संदिग्ध अधिकारी के नाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में खाता संख्या 060822010000900 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 12,170/रूपये होने का अनुमान है।	12,170/रूपये
60.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम UN मिनरलस के नाम से बैंक ऑफ बडौदा में खाता संख्या 57050200000245 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 7,15,277/रूपये होने का अनुमान है। उक्त माईन्स में संदिग्ध अधिकारी के पुत्र का 1/2 हिस्सा है अतः उक्त शेष बैलेन्स	3,57,638/रूपये

	का 1/2 हिस्सा 3,57,638/रूपये संदिग्ध अधिकारी के पुत्र का होने का अनुमान है।	
61.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम पीएनबी बैंक में खाता संख्या 1586000100164710 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 1236/रूपये होने का अनुमान है।	1236/रूपये
62.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम पीएनबी बैंक में खाता संख्या 158600PR00018373 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 3,09,591/रूपये होने का अनुमान है।	3,09,591/रूपये
63.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम पीएनबी बैंक में खाता संख्या 158600PR00021021 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 3,32,787/रूपये होने का अनुमान है।	3,32,787/रूपये
64.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम UN मिनर्लस के नाम से एक्सीस बैंक में खाता संख्या 923020003806292 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 4,66,016/रूपये होने का अनुमान है। उक्त माईन्स में संदिग्ध अधिकारी के पुत्र का 1/2 हिस्सा है अतः उक्त शेष बैलेन्स का 1/2 हिस्सा 2,33,008/रूपये संदिग्ध अधिकारी के पुत्र का होने का अनुमान है।	2,33,008/रूपये
65.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा के नाम इण्डियन ओवरसीज बैंक में खाता संख्या 501500104 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 21,095/रूपये होने का अनुमान है।	21,095/रूपये
66.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा के नाम इण्डियन ओवरसीज बैंक में खाता संख्या 153901000005341 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 1266/रूपये होने का अनुमान है।	1266/रूपये
67.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा के नाम इण्डियन ओवरसीज बैंक में खाता संख्या 153904000012281 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 33,684/रूपये होने का अनुमान है।	33,684/रूपये
68.	संदिग्ध अधिकारी के नाम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में खाता संख्या 3765398667 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 1581/रूपये होने का अनुमान है।	1581/रूपये
69.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा के नाम एचडीएफसी बैंक में खाता संख्या 50100709122142 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 0/रूपये होने का अनुमान है।	0/रूपये
70.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम एचडीएफसी बैंक में खाता संख्या 50100363594860 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 1269/रूपये होने का अनुमान है।	1269/रूपये
71.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम एचडीएफसी बैंक में खाता संख्या 50300917623370 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 46,842/रूपये होने का अनुमान है।	46,842/रूपये
72.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम एचडीएफसी बैंक में खाता संख्या 50300934752991 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 48,227/रूपये होने का अनुमान है।	48,227/रूपये
73.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम	23,577/रूपये

	एचडीएफसी बैंक में खाता संख्या 50300934767140 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेन्स 23,577/रूपये होने का अनुमान है।	
74.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड द्वारा जनवरी 2025 में इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स नम्बर आरजे 14 यूएल 4217 करीब 24 लाख रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त वाहन पर एचडीएफसी बैंक लोन खाता संख्या 159552196 से 20,76,423/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार उक्त वाहन को खरीद करने मे स्वयं के द्वारा करीब 3,23,577/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	3,23,577/रूपये
योग		15,81,94,189/रूपये

<u>परिशिष्ट "स"</u>

संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड पुत्र श्री बनवारी लाल जांगिड, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट, बांसवाडा की चैक पिरियड वर्ष 1998 से खाना तलाशी की दिनांक तक प्राप्त आयः–

क्र सं.	चैक अवधि में अर्जित आय का विवरण	आय
1.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा वर्ष 2016 से अब तक अपनी आयकर विवरणिका में आयकर कटौती के पश्चात् 1,31,50,668/रूपये शुद्व वेतन के रूप में प्राप्त करने का अनुमान है व वर्ष 1998 से वर्ष 2015 तक संदिग्ध अधिकारी द्वारा 59,98,610/रूपये शुद्व वेतन प्राप्त करने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में करीब 1,91,49,278/रूपये शुद्व वेतन अर्जित करना ज्ञात हुआ है तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में 2,56,67,302/रूपये सकल आय के रूप में प्राप्त करने का अनुमान है।	1,91,49,278/रूपये
2.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा ने वर्ष 2016 से अब तक आयकर विवरणिका में 32,22,779/रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पत्नी की चैक पिरियड में 32,22,779/रूपये आय होने का अनुमान है।	32,22,779/रूपये
3.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र निखिल जांगिड ने वर्ष 2018 से अब तक आयकर विवरणिका में 74,80,271/रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पुत्र की चैक पिरियड में 74,80,271/रूपये आय होने का अनुमान है।	74,80,271/रूपये
4.	संदिग्ध अधिकारी के नाम यूनियन बैंक इण्डिया में होम लोन खाता संख्या 060826650000024 होना ज्ञात हुआ है। उक्त होम लोन खाता से दिनांक 14.03.2024 को 1,28,00,000/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को लोन पेटे 1,28,00,000/रूपये की आय होने का अनुमान है।	1,28,00,000/रूपये
5.	संदिग्ध अधिकारी के नाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में मोरगेज लोन खाता संख्या 060826680000002 होना ज्ञात हुआ है। उक्त होम लोन खाता से दिनांक 14.03.2024 व दिनांक 28.03.2024 को 1,12,00,000/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को लोन पेटे 1,12,00,000/रूपये की आय होने का अनुमान है।	1,12,00,000/रूपये

6.	संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम एक्सीस बैंक में ओडी लिमिट खाता संख्या 922030011367491 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाता में वर्तमान में –31,852/रूपये होने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को ओडी खाता से 31,852/रूपये की आय होने का अनुमान है।	31,852/रूपये
7.	संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम एक्सीस बैंक में ओडी लिमिट खाता संख्या 922030011367514 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाता में वर्तमान में –61,87,291/रूपये होने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को ओडी खाता से 61,87,291/रूपये की आय होने का अनुमान है।	61,87,291/रूपये
8.	संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम एचडीएफसी बैंक में ओडी लिमिट खाता संख्या 50200072545097 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाता में वर्तमान में –1,51,827/रूपये होने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को ओडी खाता से 1,51,827/रूपये की आय होने का अनुमान है।	1,51,827/रूपये
9.	संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम एचडीएफसी बैंक में ओडी लिमिट खाता संख्या 50200072546506 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाता में वर्तमान में –8,99,995/रूपये होने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को ओडी खाता से 8,99,995/रूपये की आय होने का अनुमान है।	8,99,995/रूपये
10.	संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम एचडीएफसी बैंक में ओडी लिमिट खाता संख्या 50200072550798 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाता में वर्तमान में –37,21,583/रूपये होने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को ओडी खाता से 37,21,583/रूपये की आय होने का अनुमान है।	37,21,583/रूपये
11.	संदिग्ध अधिकारी के नाम पीएनबी बैंक में लोन खाता संख्या 961300ZN00553255 होना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन खाता से दिनांक 21.11.2024 को 55,22,205/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को लोन पेटे 55,22,205/रूपये की आय होने का अनुमान है।	55,22,205/रूपये
12.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम केनरा बैंक में केसीसी लोन खाता संख्या 181006115641 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाता में वर्तमान में –11,46,305/रूपये होने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को ओडी खाता से 11,46,305/रूपये की आय होने का अनुमान है।	11,46,305/रूपये
योग		7,15,13,386/रूपये

परिशिष्ट "द"

संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड पुत्र श्री बनवारी लाल जांगिड, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट, बांसवाडा की चैक पिरियड वर्ष 1998 से खाना तलाशी की दिनांक तक किया गया व्यय:–

क्र सं.	चैक अवधि में किये गये व्यय का विवरण	व्यय राशि
1.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में अर्जित कुल सकल आय 2,56,67,302/रूपये का एक तिहाई भाग नियमानुसार	85,55,767/रूपये

	85,55,767 / रूपये असत्यापनिक व्यय करने का अनुमान है।	
2.	संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्र निखिल जांगिड को जयपुर / अन्य शहरों के महंगे स्कूलों में पढाई करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्र की प्रारम्भिक शिक्षा, ट्यूशन व कोचिंग पर करीब 15,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है।	15,00,000 / रूपये
3.	संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री स्नेहा जांगिड को जयपुर / अन्य शहरों के महंगे स्कूलों में पढाई करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री की प्रारम्भिक शिक्षा, ट्यूशन व कोचिंग पर करीब 15,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है।	15,00,000 / रूपये
4.	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में लोन खाता संख्या 39007323039 होना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन खाता से दिनांक 18.12.2019 को 35,54,082 / रूपये का लोन लेकर दिनांक 19.01.2022 को लोन चुकता करना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन पेटे संदिग्ध अधिकारी ने 44,17,816 / रूपये चुकता करना ज्ञात हुआ। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने उक्त लोन पेटे 8,63,734 / रूपये ब्याज के रूप में बैंक में जमा करवाना अनुमानित है।	8,63,734 / रूपये
5.	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में लोन खाता संख्या 39007346433 होना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन खाता से दिनांक 18.12.2019 को 10,93,142 / रूपये व दिनांक 17.01.2020 को 40,08,000 / रूपये कुल 51,01,142 / रूपये का लोन लेकर दिनांक 19.01.2022 को लोन चुकता करना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन पेटे संदिग्ध अधिकारी ने 65,20,897 / रूपये चुकता करना ज्ञात हुआ। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने उक्त लोन पेटे 14,19,755 / रूपये ब्याज के रूप में बैंक में जमा करवाना अनुमानित है।	14,19,755 / रूपये
6.	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में लोन खाता संख्या 39007529110 होना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन खाता से दिनांक 18.12.2019 को 2,93,000 / रूपये का लोन लेकर दिनांक 19.01.2022 को लोन चुकता करना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन पेटे संदिग्ध अधिकारी 3,61,334 / रूपये चुकता करना ज्ञात हुआ। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने उक्त लोन पेटे 68,334 / रूपये ब्याज के रूप में बैंक में जमा करवाना अनुमानित है।	68,334 / रूपये
7.	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में लोन खाता संख्या 35959761874 होना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन खाता से दिनांक 30.07.2016 को 7,50,000 / रूपये का लोन लेकर दिनांक 29.09.2018 को लोन चुकता करना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन पेटे संदिग्ध अधिकारी 9,68,942 / रूपये चुकता करना ज्ञात हुआ। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने उक्त लोन पेटे 2,18,942 / रूपये ब्याज के रूप में बैंक में जमा करवाना अनुमानित है।	2,18,942 / रूपये
8.	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में लोन खाता संख्या 39007869442 होना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन खाता से दिनांक 18.12.2019 को 2,18,720 / रूपये का लोन लेकर दिनांक 19.01.2022 को लोन चुकता करना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन पेटे संदिग्ध अधिकारी 2,71,194 / रूपये चुकता करना ज्ञात हुआ। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने उक्त लोन पेटे 52,252 / रूपये ब्याज के रूप में बैंक में जमा करवाना अनुमानित है।	52,252 / रूपये
9.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा के नाम एक्सीस बैंक में खाता संख्या / एग्रिमेन्ट नम्बर	5,80,228 / रूपये

	PHR001006892189 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाता से दिनांक 29.12.2021 को 32,79,923/रूपये का लोन लेकर दिनांक 20.03.2024 को लोन चुकता करना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने उक्त लोन पेटे 5,80,228/रूपये ब्याज के रूप में बैंक में जमा करवाना अनुमानित है।	
10.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा के नाम एक्सीस बैंक में खाता संख्या/एग्रिमेन्ट नम्बर LTR001006894242 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाता से दिनांक 30.12.2021 को 69,00,000/रूपये का लोन लेकर दिनांक 19.03.2024 को लोन चुकता करना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने उक्त लोन पेटे 13,35,715/रूपये ब्याज के रूप में बैंक में जमा करवाना अनुमानित है।	13,35,715/रूपये
11.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा के नाम एक्सीस बैंक में खाता संख्या/एग्रिमेन्ट नम्बर LTR001006892722 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाता से दिनांक 29.12.2021 को 33,00,000/रूपये का लोन लेकर दिनांक 21.03.2024 को लोन चुकता करना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने उक्त लोन पेटे 5,83,568/रूपये ब्याज के रूप में बैंक में जमा करवाना अनुमानित है।	5,83,568/रूपये
12.	संदिग्ध अधिकारी के नाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में होम लोन खाता संख्या 060826650000024 होना ज्ञात हुआ है। उक्त होम लोन खाता से दिनांक 14.03.2024 को 1,28,00,000/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को लोन पेटे 14,51,297/रूपये किश्तों के रूप में जमा करवाना ज्ञात हुआ है।	14,51,297/रूपये
13.	संदिग्ध अधिकारी के नाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में मोरगेज लोन खाता संख्या 060826680000002 होना ज्ञात हुआ है। उक्त होम लोन खाता से दिनांक 14.03.2024 व दिनांक 28.03.2024 को 1,12,00,000/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को लोन पेटे 12,40,486/रूपये किश्तों के रूप में जमा करवाना ज्ञात हुआ है।	12,40,486/रूपये
14.	संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम एक्सीस बैंक में ओडी लिमिट खाता संख्या 922030011367514 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाता में संदिग्ध अधिकारी द्वारा जीएसटी, ब्याज व अन्य शुल्क के रूप में करीब 16,56,328/रूपये जमा करवाना अनुमानित है।	16,56,328/रूपये
15.	संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम एचडीएफसी बैंक में ओडी लिमिट खाता संख्या 50200072550798 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाता में संदिग्ध अधिकारी द्वारा जीएसटी, ब्याज व अन्य शुल्क के रूप में करीब 5,50,000/रूपये जमा करवाना अनुमानित है।	5,50,000/रूपये
16.	संदिग्ध अधिकारी के नाम पीएनबी बैंक में लोन खाता संख्या 961300ZN00553255 होना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन खाता से दिनांक 21.11.2024 को 55,22,205/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को लोन पेटे 2,12,614/रूपये किश्तों के रूप में जमा करवाना ज्ञात हुआ है।	2,12,614/रूपये
17.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम केनरा बैंक में केसीसी लोन खाता संख्या 181006115641 होना ज्ञात	2,01,025/रूपये

	हुआ है। उक्त खाता में संदिग्ध अधिकारी द्वारा जीएसटी, ब्याज व अन्य शुल्क के रूप में करीब 2,01,025/रूपये जमा करवाना अनुमानित है।	
18.	संदिग्ध अधिकारी के एसबीआई बैंक खाता संख्या 51053437664 के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र श्री निखिल जांगिड के बैंक खातों में करीब 44,00,000/रूपये विभिन्न प्रयोजनार्थ जमा करवाये गये तथा श्री निखिल जांगिड द्वारा अपने पिता के खाते में करीब 20,00,000/रूपये वापस जमा करवाये गये। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में करीब 24,00,000/रूपये विभिन्न प्रयोजनार्थ जमा करके व्यय करने का अनुमान है।	24,00,000/रूपये
19.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के एसबीआई बैंक खाता संख्या 61162017801 के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी की पत्नी द्वारा अपने पुत्र श्री निखिल जांगिड के बैंक खातों में करीब 9,00,000/रूपये विभिन्न प्रयोजनार्थ जमा करवाये गये तथा श्री निखिल जांगिड द्वारा अपनी माता के खाते में करीब 3,00,000/रूपये वापस जमा करवाये गये। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पत्नी द्वारा चैक अवधि में करीब 6,00,000/रूपये विभिन्न प्रयोजनार्थ जमा करके व्यय करने का अनुमान है।	6,00,000/रूपये
20.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र का विवाह करीब 2 माह पूर्व करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र के विवाह हेतु 10 लाख रूपये की ज्वैलरी श्रीमोती सन्स ज्वैल्र्स से खरीद करना ज्ञात हुआ है तथा शादी में मैरिज पैलेस, रसोई व अन्य खर्च के रूप में करीब 20 लाख रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र की शादी में करीब 30,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	30,00,000/रूपये
21.	संदिग्ध अधिकारी व उसके परिजनों द्वारा चैक पिरियड में उपयोग में लिये गये वाहनों के रखरखाव, ईंधन, मेन्टेनेन्स, बीमा आदि पर अनुमानित व्यय 6,00,000/रूपये	6,00,000/रूपये
योग		2,85,90,045/रूपये

संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1998 से पहले अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "अ" मे दर्शाया गया है, जो शून्य है।

संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1998 से खाना तलाशी की दिनांक तक अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "ब" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व परिजनों के नाम अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मुल्य 15,81,94,189/रूपये अनुमानति है।

संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1998 से खाना तलाशी की दिनांक तक अर्जित आय का उल्लेख परिशिष्ट "स" मे दर्शाया गया है। प्रपत्र "स" के अनुसार संदिग्ध अधिकारी व उसके परिवारजनों की ज्ञात श्रोतों से कुल वैध आय 7,15,13,386/रूपये का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1998 से खाना तलाशी की दिनांक तक किये गये व्यय का उल्लेख परिशिष्ट "द" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार कुल 2,85,90,045/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक कुमार जांगिड व उसके परिवार जनों की चैक पिरियड

वर्ष 1998 से खाना तलाशी की दिनांक तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आय 7,15,13,386/रूपये होकर, अर्जित सम्पति का मूल्य 15,81,94,189/रूपये एवं व्यय राशि 2,85,90,045/रूपये पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 18,67,84,234/रूपये में से उपरोक्त आय 7,15,13,386/रूपये को घटाने पर 11,52,70,848/रूपये की परिसम्पतियां वैध आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग 161.18 प्रतिशत अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित निम्न ठिकानों (1) मकान नम्बर 36 गुलमोहर लेन–द्वितीय, हनुमान नगर वैशालीनगर जयपुर, (2) दुकान नम्बर बी–8 आदर्श प्लाजा बनीपार्क जयपुर (3) दुकान नम्बर एस–22 बिन्दायका रीको औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, (4) संदिग्ध अधिकारी के नाम बस स्टैण्ड के पास पावटा जिला कोटपूतली बहरोड स्थित निवास स्थान, (5) खसरा नम्बर 1381/2002/1.71, 1381/2.00 ग्राम बुचारा, तह0 पावटा जिला कोटपूतली में संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम खनिज लीज, (6) संदिग्ध अधिकारी के नाम खसरा नम्बर 21/9.42, 34/0.32 ग्राम कैमरिया तह0 पावटा जिला कोटपूतली स्थित फार्म हाउस, (7) UN MINERALS खसरा नम्बर 1260 व 1261 जावद जिला उदयपुर में संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के द्वारा संचालित खनिज लीज (8) फर्म UN MINERALS जावद जिला उदयपुर में पार्टनर श्री उदयलाल गर्ग पुत्र भूरीलाल का चांसदा उदयपुर स्थित निवास स्थान (9) खसरा नम्बर 2991/1395 कोच्छला झाडोल जिला उदयपुर में संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम खनिज लीज, (10) खनिज लीज SHREE BALABERI BALAJI GRANITE MINES & MINERALS ग्राम नगर तह. मालपुरा जिला टोंक, (11) खसरा नम्बर 480/1291 लक्ष्मीपुरा सरवाड अजमेर में संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री निखिल जांगिड के नाम खनिज लीज, (12) संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट, बांसवाडा व अन्य की तलाशी लेना आवश्यक है। तलाशी के दौरान कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी. आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण, बेनामी परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, खनिज लीजों में निवेश से संबधित दस्तावेज एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सम्भावना है।

अतः संदिग्ध अधिकारी 1. श्री अशोक कुमार जांगिड पुत्र श्री बनवारी लाल जांगिड, निवासी 36 गुलमोहर लेन–द्वितीय, हनुमान नगर वैशालीनगर जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट, बांसवाडा 2. श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार जांगिड निवासी 36 गुलमोहर लेन–द्वितीय, हनुमान नगर वैशालीनगर जयपुर 3. श्री निखिल जांगिड पुत्र श्री अशोक कुमार जांगिड निवासी 36 गुलमोहर लेन–द्वितीय, हनुमान नगर वैशालीनगर जयपुर व अन्य के विरुद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने एवं अर्जित करने में सहयोग करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। आरोपीगणों का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(मूलचन्द मीणा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
इन्टे0 जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मूलचन्द मीणा पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे0 जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त श्री अशोक कुमार जांगिड पुत्र श्री बनवारी लाल जांगिड, निवासी 36 गुलमोहर लेन–द्वितीय, हनुमान नगर वैशालीनगर जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट, बांसवाडा, श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार जांगिड निवासी 36 गुलमोहर लेन–द्वितीय, हनुमान नगर वैशालीनगर जयपुर, श्री निखिल जांगिड पुत्र श्री अशोक कुमार जांगिड निवासी 36 गुलमोहर लेन–द्वितीय, हनुमान नगर वैशालीनगर जयपुर व अन्य के विरूद्ध अपराध संख्या 95/2025 दिनांक 19.04.2025 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री परमेश्वर लाल यादव, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ. आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

—sd—
(राहुल कोटोकी)
उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :– 547–551 दिनांक :– 19-04-2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, क्रम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज0 जयपुर
4. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस–चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. श्री परमेश्वर लाल यादव, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी।

(राहुल कोटोकी)
उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर